भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3252
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऑनलाइन फ़ार्मेसियों द्वारा नशे की लत वाली दर्द निवारक/मनःप्रभावी दवाओं की बिक्री

3252. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा नशे की लत वाली दर्द निवारक और मनःप्रभावी दवाओं की बिक्री की निगरानी के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा ऐसी नशे की लत वाली दर्द निवारक और मनःप्रभावी दवाओं की बिक्री के संबंध में अंतिम उपयोगकर्ता के विवरण पर कोई डेटा रखा जाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): दर्द निवारक और मन: प्रभावी दवाओं सहित औषधियों की बिक्री और वितरण का विनियमन राज्य सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा किया जाता है। एसएलए उक्त अधिनियम और नियमों के तहत इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अधिकारप्राप्त हैं और अनुपालन न होने की स्थिति में, वे उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

इसके अलावा, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को व्यापक रूप से विनियमित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने दिनांक 28.8.2018 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं, जिसमें ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं की बिक्री और वितरण के विनियमन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

मसौदा नियमों में ई-फार्मेसी के पंजीकरण, ई-फार्मेसी के आवधिक निरीक्षण, ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं के वितरण या बिक्री की प्रक्रिया, ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध, शिकायत निवारण तंत्र, ई-फार्मेसी की निगरानी आदि के प्रावधान शामिल हैं।

*****